दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
23/5/17	आज दो पत्रावली क्रमांक [illegible] [illegible] हुई प्रार्थी व अप्रार्थी भी आये तब अधि[illegible] को सुनाया व पत्रावली [illegible] तिथि का [illegible] किया गया। प्रार्थी का प्रकरण प्रारंभिक [illegible] अतः अतः पत्रा. में प्रदर्शित दिनांक 30-0[illegible] को लाभान्वित पद कम कर किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम प्रकार पद तक भी लाभान्वित [illegible] जावे। निर्णय क्रमकोट में लिपिबद्ध कराकर सुनाया गया।

Scanned by CamScanner